



उच्च न्यायालय, इलाहाबाद

रिट - बी संख्या - 5231 वर्ष 2025

रमाशंकर एवं 2 अन्य

.....याचिकाकर्तागण

बनाम

उत्तर प्रदेश राज्य एवं 3 अन्य

.....प्रत्यर्थीगण

याचिकाकर्ता हेतु अधिवक्ता : चरण सिंह

प्रत्यर्थी हेतु अधिवक्ता : भूपेन्द्र कुमार त्रिपाठी, सी.एस.सी.

न्यायालय संख्या - 54

माननीय दिनेश पाठक, न्यायमूर्ति

1. प्रस्तुत रिट याचिका, अन्य बातों के साथ-साथ, निम्नलिखित अनुतोषों की मांग करते हुए योजित की गई है: -

- i) परमादेश की प्रकृति में एक रिट, आदेश या निर्देश जारी किया जाए जिसके द्वारा प्रत्यर्थी अधिकारियों को निर्देशित किया जाए कि वे चकबंदी अधिकारी, शाहगंज, जौनपुर के आदेश दिनांक 19.09.1987 के अनुपालन में ग्राम- सरायमोहीउद्दीनपुर, परगना- अंगुली, तहसील- शाहगंज, जनपद जौनपुर में स्थित नवीन गाटा संख्या 154/0.737 हेक्टेयर (पुराना गाटा संख्या 45/9 स/1.62 एकड़) को राजस्व अभिलेखों में आबादी भूमि के रूप में दर्ज करें।
- ii) परमादेश की प्रकृति में एक रिट, आदेश या निर्देश जारी किया जाए जिसके द्वारा प्रत्यर्थी संख्या 3 को निर्देशित किया जाए कि वह याचिकाकर्ताओं द्वारा वाद संख्या 33 (रमाशंकर एवं अन्य बनाम राज्य), धारा 42-क उत्तर प्रदेश जोत चकबंदी अधिनियम के अंतर्गत प्रस्तुत आवेदन दिनांक 19.06.2025, जो प्रत्यर्थी संख्या 2 के समक्ष लंबित है (रिट याचिका का संलग्नक संख्या 2), पर निर्धारित समयावधि के भीतर आवश्यक कार्यवाही करें।

अस्वीकरण:-अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।



2. विस्तृत विचार-विमर्श के पश्चात, याचिकाकर्ताओं के विद्वान अधिवक्ता ने अपने तर्कों को याचिकाकर्ताओं द्वारा उत्तर प्रदेश जोत चकबंदी अधिनियम की धारा 42-क के अंतर्गत दायर आवेदन के शीघ्र निस्तारण तक सीमित रखा है। यह तर्क दिया गया है कि आदेश दिनांक 19.09.1987 के अनुपालन में अभिलेख शुद्धि हेतु उक्त आवेदन दिनांक 19.06.2025 से विचाराधीन है। यह भी तर्क दिया गया है कि उक्त आवेदन में केवल ग्राम पंचायत और राज्य ही विपक्षी हैं, जिनका प्रतिनिधित्व पहले से ही डी.जी.सी. (राजस्व) द्वारा किया जा रहा है।
3. विद्वान स्थायी अधिवक्ता को उपरोक्त मामले के शीघ्र निस्तारण हेतु निर्देश जारी किए जाने पर कोई आपत्ति नहीं है।
4. उपरोक्त परिप्रेक्ष्य में, इस प्रकरण को लंबित रखने का कोई उपयोगी प्रयोजन सिद्ध नहीं होगा। अतः, यह न्यायालय वर्तमान रिट याचिका में वर्णित मामले के गुण-दोष पर कोई टिप्पणी किए बिना, रिट याचिका को अंतिम रूप से निस्तारित करना उचित समझता है। चकबंदी अधिकारी (प्रत्यर्थी संख्या 3), जिनके समक्ष उपरोक्त मामला निस्तारण हेतु लंबित है, को निर्देशित किया जाता है कि वे इस आदेश की प्रमाणित प्रति प्राप्त होने की तिथि से, अधिमानतः **पाँच माह** की अवधि के भीतर उक्त मामले को त्वरित गति से निस्तारित करें।
5. यह अपेक्षा की जाती है कि संबंधित पक्षकारों को सुनवाई का अवसर प्रदान करते हुए और किसी भी पक्ष को अनावश्यक स्थगन दिए बिना, विधि के अनुसार एक सकारण एवं सुस्पष्ट आदेश द्वारा इसका निस्तारण किया जाए।
6. उपरोक्त निर्देशों के साथ, वर्तमान रिट याचिका निस्तारित की जाती है।

(दिनेश पाठक, न्यायमूर्ति)

11 मार्च, 2026

सुषमा

अस्वीकरण:- अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।